हिन्दी प्रेस–विकास और इतिहास

डॉ. मीना शर्मा,

पी.जी.डी.ए.वी. कॉलेज (सांध्य),
दिल्ली विश्वविद्यालय

पत्र, पत्रकार और पत्रकारिता इन तीनों का ही जन्मदाता प्रेस है। प्रेस यानी छापेखाना यानी मुद्रणालय। यूरोप ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में इसी छापेखाने ने आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ आधुनिक पत्रकारिता को जन्म दिया। यदि प्रेस न होता तो पत्र, पत्रकार और पत्रकारिता भी नहीं होती एवं वह दुनियाँ भी न होती, जो आज है।

आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साम्राज्य है, 24×7 टी.वी. न्यूज चैनलों की भरमार है, मीडिया का जमाना है। आज प्रेस के स्थान पर मीडिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'मीडिया हाउस' शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब कुछ बदल गया है। क्लेवर, फ्लेवर और तेवर भी। किंतु यदि कुछ नहीं बदला है तो एक शब्द और उसके क्रिया–व्यापार एवं महत्व। और वह शब्द है–पत्रकार और पत्रकारिता। 'पत्र' के बिना इस शब्द की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। और 'पत्र' की परिकल्पना प्रेस के बिना। प्रेस की महत्ता बताते हुए पं. अम्बिका प्रसाद वाजपेयी लिखते है – ''प्रेस और पत्र का चोली दामन का सम्बन्ध है।''

इसी प्रेस का दामन थामकर लोग पत्रकार होते थे, वो पत्रकार भी दिखते नहीं थे और आज यह आलम है कि लोग पत्रकार दिखते हैं, पर पत्रकार होते नहीं है अपने आप को टीवी पत्रकार और सम्पादक कहने वाले इन लोगों का सम्बन्ध न तो 'प्रेस' से है और न ही 'प्रेस' के नींव रखे जाने की मूल भावना एवं पत्रकारिता की आत्मा से है। जिस 'प्रेस' का जन्म ही विरोध अथवा प्रतिरोध की भावना एवं उस विरोध का प्रसाद हार्दिकता से ग्रहण करने की कामना होती थी।

सत्य के प्रति आग्रह और निर्भीकता के साथ ही भारतीय पत्रकारिता का जन्म होता है। सत्य और निर्भीकता का रचनात्मक साक्ष्य स्वयं भारतीय पत्रकारिता के जनक जेम्स आगस्टक हिक्की प्रस्तुत करते हैं। हिक्की प्रेस को मन और आत्मा की स्वतंत्रता का प्रमाण मानते थे। और प्रेस की आत्मा का प्रमाण सत्य के लिए संघर्ष की मानते थे। प्रेस क्यों? और प्रेस की रीति और नीति की अन्तरात्मा का साक्षात्कार हम उनके इस वक्तव्य से कर सकते हैं–**''अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बन्धन में डालने में मुझे आनन्द आता है।''**

यह उद्‌गार केवल एक पत्रकार का न होकर पत्रकारिता की स्थापना के पवित्र उद्देश्य, ऊँचे आदर्श, मजबूत सिद्धान्त और पत्रकारिता के ऊभड़–खाभड़ रास्ते किन्तु सत्य की दिशा में गमन करने का पथ–प्रदर्शक है। यानी कि प्रेस की जन्मकुण्डली में ही दुःख लिख दिया गया था। इस क्षेत्र में पदार्पण करने वाले लोग अंजाम सोचकर और सुविधा एवं सुरक्षा की कामना छोड़कर आए। 'प्रेस' के जन्मकाल में ही चरित्र–निर्माण और संस्कार का पाठ पढ़ा दिया गया था।

मस्तिष्क और आत्मा की स्वाधीनता की उपलब्धि के संकल्प के मूलमंत्र के साथ जेम्स हिक्की ने 29 जनवरी 1780 को 'बंगाल बजट' या

'कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' नामक साप्ताहिक पत्र के प्रकाशन के साथ ही भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी। भारत में विधिवत् पत्रकारिता की शुरुआत करते हुए हिक्की ने प्रथम अंक में ही स्पष्ट कर दिया था कि यह पत्र हर दल से सम्बन्धित होकर भी हर दल के प्रभाव से मुक्त रहेगा। 'बंगाल गजट' का महत्व सिर्फ प्रथम समाचार पत्र होने के कारण न होकर अन्य कारणों से भी है। 'बंगाल गजट' अंग्रेजी मूल के सम्पादक होने के बावजूद भी गर्वनर जनरल, मुख्य न्यायाधीश आदि सबकी आलोचना करता था। सबकी खबर लेता था। ब्रिटिश शासन और काउंसिल के अधिकारियों के व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी कर उनकी जमकर खबर लेना, उनके चेहरे पर से मुखौटा हटाना ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी में व्याप्त भ्रष्टाचार की कलई खोलकर उसके कोपभाजन का स्वयं शिकार होने के निमंत्रण देने के समान था। साहसी पत्रकारिता का दुर्लभ उदाहरण एवं आदर्श जब पहला समाचार पत्र ही बन जाए तो ऐसे में इसका महत्व प्रतीकात्मक रूप से समस्त पत्रकारिता जगत के लिए बढ़ जाता है।

जेम्स हिक्की ने सत्ता के विरोध करते हुए न केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी की अवांछनीय गतिविधियों पर से पर्दा उठाया बल्कि वारेन हेस्टिंग्स तक को नहीं बख्शा। उनके लेखन को 'आपत्तिजनक लेखन' मानते हुए वारेन हेस्टिंग्स ने जेम्स हिक्की और बंगाल गजट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। हिक्की पर जून 1781 में 80,000 रुपयों का भारी जुर्माना ठोका गया और जुर्माना न अदा करने की स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार उसे पीटा भी गया। पोस्ट ऑफिस के द्वारा पत्र के भेजने पर भी पाबन्दी लगा दी गयी, परन्तु जेम्स हिक्की के विचारों ओर हौंसलों पर इसकी रत्ती भर भी फर्क न पड़ा। उन्होंने जेल में रहकर भी अपने 'बंगाल गजट' पत्र का सम्पादन जारी रखा। इस निर्भीक पत्रकार ओर निर्भीक पत्रकारिता के आक्रमण को वे सब मिलकर भी रोक नहीं पाए। जेल में रहकर ही उन्होंने ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इण्डिया कम्पनी की जमकर खिल्ली उड़ायी। अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने सरकारी कारनामों की कटु आलोचना और कारनामों का पदार्फाश किया। सरकार के काण्डों का भंडाफोड़ अनवरत जारी रखा। हिक्की को चार महीने की कैद मंजूर थी लेकिन अपना रास्ता बदलना मंजूर नहीं। जबकि यूरोपीय लोगों की अगुवाई में करीब 400 हथियारबन्द लोगों की भीड़ ने हिक्की के प्रेस पर धावा बोलकर प्रेस और हिक्की की आवाज को दबाने की कोशिश भी की थी।

जनवरी 1782 में जेम्स हिक्की को पुनः एक बार गिरफ्तार कर एक वर्ष का कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। किन्तु गर्वनर जनरल और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ उस जमाने में तीखा लेखन जारी रखा जो अपने आप में एक अकल्पनीय बात थी। सत्ता, शासक और न्यायपालिका से सीधे टकराने की ताकत तब भी और आज भी लोगों में कितनी होती है यह हम सब बखूबी जानते हैं। शासन और समाचार पत्र के बीच सीधे टकराव की बानगी वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जारी 14 नवम्बर 1780 के उस सरकारी आदेश में देखी जा सकती है जिसके जरिए प्रहार करते हुए 'बंगाल गजट' समाचार पत्र पर गाज गिरती है। आदेशनामा कुछ ऐसा था–**''आम सूचना दी जाती है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम 'बंगाल गजट ऑफ केलकटा जनरल एडवरटाइजर' है, जो जे.ए. हिक्की द्वारा मुद्रित किया जाता है, के अंकों में निजी जिन्दगी को कलंकित करने वाले अनेक अनुचित अंश पाये गए हैं, जो शान्ति भंग करने वाले हैं, अतएव इसे जी.पी.ओ. के माध्यम से प्रसारित होने की और अधिक अनुमति नहीं दी जा सकती।''**

प्रथम पत्र के प्रथम टकराव की यह प्रथम घटना प्रेस और शासन के बीच के विरोधमूलक सम्बन्ध की प्रकृति को दिशा देते हुए पत्रकारिता के लिए एक आदर्श भी गढ़ रहा था। एक नजीर पेश करता है कि प्रेस शासन की अच्छी तरह से खबर ले। न झूके, न डरे, न समझौता करे, न लाभ–लोभ में आए बल्कि निर्भीकता से सरकारी तंत्र का भंडाफोड करते हुए उसे जनता के लिए उत्तरदायी बनाये।

'बंगाल गजट' के खिलाफ दमन–चक्र चलता रहा। 1782 में पत्र के प्रकाशन में उपयोगी टाइप को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। छापेखाना एवं सम्पत्ति पर सरकारी जब्ती की मुहर लगा दी गयी। अल्पकाल तक जीवित इस समाचार पत्र ने पत्रकारिता के लिए दीर्घकालीन मूल्यों की आधारशिला रखी। हिक्की का यह वक्तव्य 'अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बन्धन में डालने में मुझे आनन्द आता है', पत्रकारों के लिए आज भी मार्गदर्शक एवं प्रेरणाप्रद है। पत्रकार और पत्रकारिता के लिए जो रास्ता हिक्की और बंगाल गजट ने दिखाया, वह आज भी नैतिक, मूल्यपरक एवं प्रासंगिक है। दमन के विरुद्ध संघर्ष का जो साहस पत्र ने दिखाया, वो कालान्तर में जाकर पत्रकारिता के लिए आदर्श बन गया। आज की पत्रकारिता करते हुए यदि किसी पत्रकार का हौंसला डगमगाए रास्ता भटक जाए तो एक बार वह पत्रकारिता के गौरवपूर्ण इतिहास की ओर पीछे मुड़कर 'हिकीज गजट' को देख ले। जिसने अपनी पूरी जिन्दगी तीखे प्रहारों को झेलने में ही खपा दी। किन्तु सत्य का रास्ता न छोड़ा। 'बंगाल गजट' ने जो पत्रकारिता का जो पाठ पढ़ाया उसी का सुखद परिणाम था कि संघर्ष के इस मार्ग पर अनेक पत्रों और पत्रकारों ने कष्ट उठाए, किन्तु कभी परिस्थितियों के सामने कभी झुके नहीं, रूके नहीं और न ही किसी प्रकार का समझौता किया। जबकि ब्रिटिश हुकूमत औपनिवेशिक शासन के हितों के लिए अंग्रेज पत्रकारों के प्रति भी उतना ही कठोर था।

जेम्स आगस्टक हिक्की को न सिर्फ भारत में पत्रकारिता के प्रादुर्भाव का श्रेय जाता है बल्कि व्यवस्था से टकराने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए प्रताड़ना के रूप में कीमत चुकाने का सम्मान भी उन्हीं के खाते में दर्ज है। 'एडवरटाइजमेंट' का इतिहास भी इसी पत्र से शुरू हेाता है। और शुरू होता है प्रेस द्वारा जनता की भावना एवं आवाज सुनने का एक नवीन माध्यम–सम्पादक के नाम पत्रों, पत्र और जनता के बीच एक नवीन रिश्ते और जनता की आवाज को शब्द देने के लिए 'सम्पादक के नाम पत्र' स्तम्भ का जनक भी हिक्की का 'बंगाल गजट' ही था। जन–भावनाओं, जन–समस्याओं और जन–नब्ज से जुड़कर ही पत्र, पत्रकारिता और पत्रकार जीवित रह सकते हैं, इस दर्शन के स्थापक भी जेम्स हिक्की ही है। जन से कटकर कैसा जनसंचार? एक नवीन प्रजातांत्रिक सोच के साथ भारत में पत्रकारिता का श्री गणेश किया गया। पत्रकारिता के तकनीकि पक्ष 'प्रेस' अथवा 'छापेखाना' की नींव रखने के साथ–साथ पत्रकारिता के नैतिक पक्ष सत्य, साहस, निर्भीकता, जोखिम, जन–संस्कृति और जन–उत्तरदायित्व की आधारशिला रखने का कार्य हिक्की और उनके 'बंगाल गजट' ने किया। जो आगे जाकर पत्रकारिता के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। अतएव इस पत्र का सिर्फ तात्कालिक महत्व न होकर ऐतिहासिक महत्व है। यह पत्र–पत्रकारों के लिए एक समाचार–पत्र न होकर, एक आचरण–पत्र भी है। पत्रकारिता के गौरवपूर्ण इतिहास के गौरवपूर्ण प्रारम्भ का सूचक है।

आज पूँजीवाद कारपोरेट कल्चर और राजनीति के युगलबन्दी के दौर में एक ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी गयी है कि कुछ भी बोलने का अर्थ सुनिश्चित कर दिया गया है। लाइन के इधर बोलना–'कांग्रेस' का है, लाइन के ऊपर बोलना–'भाजपा' का है, मान लिया जाता है। तो

फिर 'जनता' का कौन है? 'मीडिया' का कौन है? जनता की तरफ से कौन बोलेगा? मीडिया की तरफ से कौन बोलेगा? जनता है भी या नहीं! मीडिया है भी या नहीं! और जब पत्रकारिता में जनता और मीडिया की आवाज न सुनाई पड़े तो एक बार पीछे पलटकर अपने पत्रकारिता के गौरवपूर्ण इतिहास की तरफ देख लेना चाहिए। आज के पत्रकारों को सम्बल और पत्रकारिता को दिशा मिल जाएगी। आज सुभाषचन्द्र बोस की फाइल सार्वजनिक करने के साथ–साथ 'बंगाल गजट' और हिक्की की फाइल भी सार्वजनिक करने की घोर आवश्यकता है। जब लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों ही मूल्य संकट से जूझ रहे हो।

'बंगाल गजट' दो पृष्ठ का साप्ताहिक अंग्रेजी पत्र था। यह 12 इंच लम्बा और आठ इंच चौड़ा तथा दोनों और तीन कॉलम में छपता था। पत्र के संदर्भ में हिक्की के प्रथम अंक के कथन के अनुसार यह एक राजनीतिक और आर्थिक विषयों का साप्ताहिक पत्र है जो सबके लिए खुला है परन्तु प्रभाव में किसी के भी नहीं है। तीन कॉलम में छपने वाला यह एक विज्ञापन बहुल समाचार पत्र था जो शासन के भ्रष्टाचार और लोगों के व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी कर–के सबकी खबर लेता था। जिसने समाचारों के प्रति लोगों के कौतूहल को पैदा किया। समाचार पत्र के प्रति लोगों में चाव पैदा की। सार्वजनिक शिक्षा के अभाव में इस पत्र के करीब 98 प्रतिशत पाठक अंग्रेज थे जो शासकीय–व्यवस्था से सीधे जुड़े होने के कारण इसे सीधे 'नोटिस' करते थे। कम्पनी के अधिकारियों की लूट–खसोट की खबरें सीधे उनके कानों तक पहुँचती थी। अपने भंडाफोड़ पर इन खबरों को पढ़कर वे तिलमिला उठते थे। इस पत्र ने हेस्टिंग्स की पत्नी समेत अनेक माला अफसरों के स्टैण्डल को प्रमुखता से उजागर किया।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रताड़ना के रूप में कीमत चुकाने की परम्परा का डी.एन.ए. भारत में पत्रकारिता के जन्मकाल से ही मिलता है। इससे पूर्व भारत में प्रथम समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न करने वाले ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी विलियम बोल्ट को भी जबर्दस्ती एक जहाज में डालकर भारत से निकाल बाहर किया गया था। जबकि श्री वोल्ट व्यापारी वर्ग ओर समाज हित में समाचार पत्र के प्रकाशन के महत्व एवं उसकी आवश्यकता को अनिवार्य समझते थे। वे मुद्रण कार्य सम्बन्धी प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देते हुए इच्छुक व्यक्ति को खुला निमन्त्रण देते हैं। 'जनसाधारण' से नामक शीर्षक से वे सितम्बर 1768 में कलकत्ता के कौंसिल हाल एवं प्रमुख स्थानों पर एक नोटिस लगवाया था। जिसका मसौदा कुछ इस प्रकार था –

प्रथम समाचार–पत्र : बंगाल गजट

श्री वोल्ट जनता के सूचना प्रदान करने के लिए यह तरीका अपनाया है। इस नगर में छापेखाना नहीं होने से व्यापारी वर्ग को बहुत नुकसान रहता है और समाज को वे समाचार दिया जाना अत्यन्त कठिन है, जिसमें हर ब्रिटिश प्रजा की दिलचस्पी है। इसलिए श्री वोल्ट उस या उन व्यक्तियों को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने को तैयार है, जो मुद्रण का काम जानते हैं, प्रेस टाइपों तथा अन्य का प्रबन्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही वह जनता को सूचित करना चाहते हैं कि उनके पास लिखित रूप से ऐसी जानकारी है, जिसमें हर व्यक्ति की गहरी दिलचस्पी होगी। जो जिज्ञासु व्यक्ति चाहे, उन्हे श्री वोल्ट के घर में वह सामग्री पढ़ने एवं नकल करने की अनुमति होगी। एक व्यक्ति प्रायः दस से बारह बजे तक इच्छुक व्यक्तियों को इसमें सहायता प्रदान करने के लिए रहेगा।

भारत में आरम्भिक पत्रकारिता के उदयकाल में समस्या सिर्फ सत्ता और व्यवस्था की

दीवार ही नहीं थी बल्कि मुद्रण ज्ञान का अभाव, दक्षता एवं कौशल की कमी भी थी। जिस कारण समाज तक जरूरी जानकारी पहुँचाना एक चुनौती थी ताकि समाज का भला हो सके। लेकिन इस भलाई में निकले श्री वोल्टास को भारत से ही निष्कासित कर दिया गया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को यह भय था कि उनके और श्री वोल्टास के बीच के मतभेद के कारण अखबार में कुछ उल्टा पुल्टा न छप जाए। श्री वोल्टास जो कार्य समाचार पत्र के जरिये न कर सके, वो अधूरा कार्य यानी कम्पनी प्रशासन का भंडाफोड़, कारनामों का कच्चा–चिठ्ठा अपनी पुस्तक 'कनसीडरेशन ऑन इण्डियन अफेयर्स' लिखकर कर डाला।

भारत में पत्रकारिता और समाचार–पत्र क नींव गैर सरकारी अंग्रेजों के उद्यम द्वारा रखी गयी थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की व्यापारिक गतिविधि, कम्पनी के अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से धन उगाहने की प्रवृत्ति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को डरा–धमकाकर दबाने की कार्य–संस्कृति का विरोध करने का बीड़ा स्वयं कम्पनी के ही कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों ने उठा लिया था। जो कम्पनी एवं उसके शीर्षस्थ अधिकारियों के अवांछित गतिविधियों से क्षुब्ध थे। समाचार पत्र का प्रकाशन प्रकारान्तर से उनके लिए आन्तरिक घुटन के प्रकाशन का मुक्ति मार्ग था। जो चुपचाप बैठकर लूट–खसोट का गोरखधन्धा नहीं देख सकते थे। इन प्रारम्भिक अंग्रेज पत्रकारों ने न केवल इन समाचार पत्रों का संचालन और सम्पादक किया बल्कि स्वेच्छाचारी शासकों से लड़ने का माद्दा रखते हुए समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता का संग्राम भी चलाया। इस संघर्ष की बड़ी कीमत भी उन्हें चुकाना पड़ा, फिर भी वे चूके नहीं। वे मानसिक क्लेश और कम्पनी के कोप भाजन के शिकार हुए। जेल गए, देश से निकाले गए, अपमानित हुए, सत्ता के दमन के शिकार हुए किन्तु पराजित नहीं हुए।

सत्ता का अपना एक चरित्र होता है। वह अपने लाभ के लिए धर्म, जाति, राष्ट्रीयता, रंग, नस्ल आदि नहीं देखती है। कुछ ऐसा ही अंग्रेजी शासन–व्यवस्था के लिए यह सत्य लागू होता है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी और अंग्रेजी हुकूमत ने अपने खिलाफ लिखे जाने पर अपने अंग्रेजी नस्ल के अंग्रेजी पत्रकारों के साथ वही क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जो उन्होंने गैर अंग्रेजी पत्रकारों एवं समाचार पत्रों के साथ उस दौर में किया था। यह भ्रान्त धारणा है कि सभी अंग्रेज एक जैसे थे अथवा अंग्रेज–अंग्रेज भाई–भाई थे। यहाँ सम्बन्ध अंग्रेज–अंग्रेज का न होकर सत्ता और पत्रकारिता का है। सत्ता और सत्ता के विरोध का है। यह बात अलग है कि प्रारम्भिक समाचार पत्रों में इन पत्रकारों ने व्यक्तिगत आक्षेपों की बौछाड़ इस सत्य को जानते हुए किया था कि कम्पनी उन्हें बलात स्वदेश (ब्रिटेन) भेज देगी, रोजी–रोटी छिन लेगी, जेल भेज देगी और फिर स्वदेश में उन्हें दुबारा अहमियत और काम नहीं मिलेगी। इस सत्य के बोध के साथ इन असन्तुष्ट कर्मचारियों पत्रकारों का जोखिम का रास्ता चुना। सब कुछ खोने का दांव लगाया ताकि धन से बढ़कर मन की स्वाधीनता, आत्मा की स्वाधीनता को प्राप्त कर सके। इन्होंने कम्पनी के व्यापारिक कारगुजारियों के साथ–साथ कम्पनी के अधिकारियों के काले–कारनामों का भी भंडाफोड़ किया। हिम्मत दिखाकर इनके घपलों–घोटालों का पर्दाफाश किया। ऐसे समाचार पत्रों का प्रसार–प्रचार न हो सके, वितरण न हो सके, प्रकाशन न हो सके, इसके लिए इन पर भारी जुर्माना ठोका गया। अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने पत्रकारिता के आरम्भिक परिदृश्य के सत्य को इन शब्दों में बयां किया है –

''भारत में प्रेस व छापेखाने और समाचार–पत्र गैर सरकारी अंग्रेजों के उद्योग से स्थापित हुए थे। उन्होंने समाचार–पत्रों का संचालन और सम्पादन ही नहीं किया था, स्वेच्छाचारी शासकों से समाचार–पत्र की स्वतन्त्रता का संग्राम भी चलाया

था। इस संग्राम में जैसा सभी संग्रामों में होता है, कभी हार और कभी जीत होती रही। शासकों के पक्ष में पशुबल था और सम्पादकों का सम्बल नैतिक बल और अन्त में 'धिगबलं क्षत्रियबलं, ब्रह्मतेजो बलंहत्' सिद्धान्त की विजय हुई और भारतीय समाचार–पत्र उत्तरोत्तर स्वतन्त्र होता गया।''

– अम्बिका प्रसाद वाजपेयी

18वीं शताब्दी के अन्तिम दशक से पूर्व समाचार पत्रों के प्रकाशन सम्बन्धी कोई लिखित कानून नहीं था। किन्तु शासक विरोधी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन से ब्रिटिश सरकार के कान खड़े होने लग गये थे। उन्होंने इस पर गम्भीरता से संज्ञान लेते हुए सरकारी नियन्त्रण और देख–रेख की नीति को कड़ा रूख देना शुरू कर दिया। मद्रास प्रान्त में सन् 1795 में सर्वप्रथम यह नियम बनाया कि समाचार–पत्र के प्रकाशन से पूर्व सरकारी अनुमति आवश्यक है। उस भय के कारण मद्रास से निकलने वाले समाचार–पत्र की नीति सरकार की मान्यता एवं कृपा प्राप्त करने तक सीमित रह गया था। बदले में इन्हें सरकारी सहूलियत एवं विज्ञापन मिलता था। जबकि बंगाल में विरोध की परम्परा कायम होने के कारण हिक्की के बाद विलियम डुएन और 'बंगाल हरकारू' के डॉ. चालर्स मेकलीन को सरकार से जमकर लोहा लेना पड़ा।

प्रेस की स्वतन्त्रता को सीमित करने और सरकारी नियन्त्रण की दिशा में दो कदम आगे बढ़ाने का काम लार्ड वेलेजली ने भारत में पदार्पण के साथ ही शुरू कर दिया था। 13 मई 1799 को लार्ड वेलेजली ने कुछ विशेष नियमों को जारी किया जिसकी प्रकृति निषेधात्मक और नियंत्रणात्मक थी। ये नियमावली कुछ इस प्रकार थे –

1799 का वेलेजली अधिनियम

1. प्रत्येक समाचार–पत्र को सम्पादक एवं संचालक के नाम सरकार को लिखित रूप में देना होगा।
2. प्रत्येक समाचार–पत्र के अंक पर मुद्रक एवं सम्पादक का नाम अंकित करना होगा।
3. समाचार–पत्र की सामग्री का सर्वेक्षण किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
4. रविवार को समाचार–पत्र का प्रकाशन बन्द रहेगा।

इन नियमों के अतिरिक्त समाचार–पत्र के विषय भी सीमित कर दिए गए। समाचार–पत्रों पर सेंसर की पहली कैंची चलाकर इन अखबारों के पर कुतरने का काम शुरू कर दिया गया। जैसे–सेना, सरकारी आय, युद्ध सामग्री, जहाजों, कम्पनी के संघ राज्य सम्बन्ध, सरकारी अधिकारियों के कार्य तथा उनके व्यक्तिगत मामले और कोई भी विदेशी घटना जो ऊपर दिए गए किसी भी विषय से सम्बद्ध हो, नहीं छापी जा सकती है। इस तरह समाचार–पत्रों की आजादी पर प्रतिबन्ध और प्रहार कर लार्ड वेलेजली ने सरकारी पकड़ को मजबूत करने का कार्य किया। इससे पत्रकारिता की बढ़ती हुई ताकत के अहसास को भी समझा जा सकता है। और साथ शासन–व्यवस्था में उत्पन्न खलबली का भी आकलन किया जा सकता है।

भारत की आरम्भिक पत्रकारिता ने आरम्भ में ही सत्ता के गलियारे में हड़कम्प मचा दी थी। अतएव ऐसे समाचार–पत्रों के बढ़ते प्रभाव को मैनेज करने के लिए, समाचार–पत्रों को सरकारी भोंपू बनाने के लिए, कम्पनी और शासन की छवि एवं गतिविधि को जनता की दृष्टि में जायज साबित करने के लिए कुछ समाचार–पत्रों की शासन की कृपा एवं संरक्षण में लांच किया गया। ये पत्र सरकारी मान्यता, सरकारी कृपा, सरकारी

विज्ञापन और सरकारी संरक्षण एवं सरकारी नीतियों के समर्थन की नीति के आधार पर छपते थे। इनका मूल स्वर सरकार विरोधी न होकर रागदरबारी था।

संदर्भ

1. अम्बिका दत्त वाजपेयी, समाचार पत्रों का इतिहास, प्रस्तावना, पृ. 1.
2. वही, पृ. 27.
3. समाचार दर्पण, अंक–5, नवंबर 1834.
4. समाचार पत्र, चेलपति राजु, पृ. 27.
5. हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, जे. नटराजन, पृ. 48.
6. वेद प्रताप वैदिक, हिन्दी पत्रकारिता के 150 वर्ष, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 27 मई 1976, पृ. 8.
7. डॉ. रामरतन भटनागर, द राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ हिन्दी जर्नलिज्म, पृ. 480.
8. डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय, पत्रकारिता और जनसंचार : सिद्धान्त एवं विकास, पृ. 96.
9. एस.के. सिन्हा, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, पृ. 408.
10. कृष्ण बिहारी मिश्र, हिन्दी पत्रकारिता, पृ. 48.